15

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति
(2020-21)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2020-21)' पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

पंद्रहवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

फरवरी, 2021/ माघ, 1942 (शक)

पंद्रहवां प्रतिवेदन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति
(2020-21)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

[सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2020-21)' पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

12.02.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

12.02.2021 राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

फरवरी, 2021/ माघ, 1942 (शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
समिति की संरचना		(iv)
प्राक्कथन		(vi)
अध्याय एक	प्रतिवेदन	
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है	8
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती	34
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है	35
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के है	42
	अनुबंध	
	सामाजिक न्याय संबंधी स्थायी समिति की 10.11.2020 को हुई दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश।	56
	परिशिष्ट	
	सामाजिक न्याय संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण।	59

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

श्रीमती रमा देवी – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती संगीता आजाद
3. श्री भोलानाथ 'बी. पी. सरोज'
4. श्रीमती प्रमिला बिसाई
5. श्री थॉमस चाजिकाडन
6. श्री छतर सिंह दरबार
7. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
8. श्रीमती मेनका संजय गांधी
9. श्री हंस राज हंस
10. श्री अब्दुल खालेक
11. श्रीमती रंजीता कोली
12. श्रीमती गीता कोडा
13. श्री विजय कुमार
14. श्री अक्षयवर लाल
15. श्री पशुपति कुमार पारस
16. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद
17. श्री अर्जुन सिंह
18. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
19. श्री के. षणमुग सुंदरम
20. श्रीमती रेखा अरुण वर्मा
21. श्री तोखेहो येपथोमी

राज्य सभा

22. श्रीमती झरना दास बैद्य
23. श्रीमती रमिलाबेन बारा
24. श्री अबीर रंजन बिस्वास

25. श्री एन. चंद्रशेखरन
26. श्री बिस्वजीत दैमारी[$]
27. श्रीमती ममता मोहंता
28. श्री पी.एल. पुनिया*
29. श्री राम नाथ ठाकुर
30. श्री रामकुमार वर्मा
31. रिक्त

[$] श्री बिस्वजीत दैमारी, संसद सदस्य ने राज्यसभा में अपनी सीट से 21.11.2020 को इस्तीफा दे दिया।

*** श्री पी एल पुनिया, संसद सदस्य (राज्य सभा) 25.11.2020 को सेवानिवृत्त।**

सचिवालय

1.	श्रीमती अनीता बी. पांडा	-	संयुक्त सचिव
2.	श्रीमती ममता केमवाल	-	निदेशक
3.	श्री सलिल सरोज	-	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2020-21)' पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह पंद्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

2. छठा प्रतिवदेन 3 मार्च, 2020 को लोक सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और उसी दिन इसे राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 03.09.2020 को उस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला अपने उत्तर प्रस्तुत किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने 10.11.2020 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया।

3. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट-दो पर दिया गया है।

4. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अध्याय- एक में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
10 नवंबर, 2020
19 कार्तिक, 1942 (शक)

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी
स्थायी समिति।

अध्याय- एक
प्रतिवेदन

1.1 यह प्रतिवेदन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2020-21)' पर समिति के छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित है।

1.2 छठा प्रतिवदेन 03.03.2020 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया। इसमें 17 टिप्पणियां/सिफारिशें थी। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तरों की जांच की गई है और उन्हें निम्नवत वर्गीकृत किया गया है -

(1)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है **पैरा सं. 3.14, 3.15, 3.16, 3.26, 3.37, 3.38, 4.11, 5.3 और 5.8** **(कुल : 9, अध्याय : दो)**
(2)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती **पैरा सं. - शून्य** **(कुल : 0, अध्याय : तीन)**
(3)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है **पैरा सं. 2.8, 3.25 और 5.12** **(कुल : 3, अध्याय : चार)**
(4)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के है **पैरा सं. 2.9, 2.10, 3.43, 3.44 और 4.12** **(कुल : 5, अध्याय : पांच)**

1.3 **समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय - एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण और अध्याय - पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम की-गई-कार्रवाई टिप्पण उसे यथाशीघ्र और इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के किसी भी स्थिति में तीन माह से अनधिक समय में प्रस्तुत किए जाए।**

1.4 अब समिति सरकार से प्राप्त उत्तरों पर चर्चा करेगी जिन्हें दोहराए जाना अपेक्षित है या टिप्पणियां किए जाने जरूरी है।

क. निधियों का उपयोग न होना

सिफारिश (पैरा सं.2.8)

1.5 समिति ने अपने छठे मूल प्रतिवेदन में निम्नलिखित सिफारिश की थी:

"समिति नोट करती है कि 2019-20 के दौरान विभाग ने 8885.00 करोड़ रूपए का बजट आवंटित किया था और विभाग ने 31.01.2020 तक 5740.19 करोड़ रूपए का उपयोग किया, जो कुल आवंटित निधियों का 64.6 प्रतिशत था। समिति यह भी नोट करती है कि 15.02.2020 को विभाग का उपयोग बढ़कर 6644.85 करोड़ रूपए हुआ जो कि सं.अ. स्तर पर आवंटित कुल निधियों अर्थात् सं.अ. 8885.00 करोड़ रूपए का 74.79 प्रतिशत हो गया। समिति यह नोटकर निराश है कि विभाग द्वारा निधियों के उपयोग की गति असमान हैं जो वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में अत्यंत धीमी है। लगभग 35 प्रतिशत बजट अप्रयुक्त पड़ा रहा तथा वित्त मंत्रालय के संशोधित निदेशों के अनुसार मंत्रालय/विभाग वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में अपने ब.अ. का मात्र 25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा में छूट प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव किया है तथा इसको नहीं मानने से 10 प्रतिशत अप्रयुक्त निधियां वापस करनी पड़ सकती है। देर से यूसी प्रस्तुत करना और पूर्ण प्रस्तावों की अप्राप्ति आवंटित बजट के पूर्ण

उपयोग में विलंब के कारण हैं, समिति विभाग से यूसी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को स्पष्ट करते हुए प्रत्येक राज्य की निधियों की प्रत्येक किस्त जारी करने की रणनीति बनाने का आग्रह करती है। समय-सीमा के अंतर्गत यूसी के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विभाग को तत्काल इस मुद्दे को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ जोर-शोर के साथ उठाना चाहिए। अधिकारियों को राज्यों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने की जिम्मेदारी अंतरित की जाए जिसके लिए उचित प्रस्ताव तैयार करने हेतु सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि आवश्यक हो, इस मुद्दे को संबंधित राज्य प्राधिकारियों के साथ उठाने के लिए स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की सहायता भी ली जा सकती है। समिति इससे भी अवगत होने की इच्छा व्यक्त करती है कि हाल का निर्णय कि 60 दिनों में राज्य प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो जारी रखा जाए क्या विभागीय योजनाओं पर भी लागू होता है।"

1.6 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:-

"समिति की सिफारिश/निष्कर्ष नोट कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेख किया जाता है कि वर्ष 2019-20 के 8885.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में विभाग का कुल व्यय 8729.53 करोड़ रुपए था जो वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान का 98.25% था। तथापि, विभाग ने वित्तीय सहायता जारी करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से पूर्ण उपयुक्त प्रस्ताव और उपयोग प्रमाणपत्र आदि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए नोडल अधिकारियों को मंडलीय अध्यक्ष के रूप नामोदिष्ट किया है। इस विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का क्षेत्रीय दौरे के दौरान, बाधाओं की पहचान करने और सुधारात्मक उपाय करने की दृष्टि से विचार-विमर्श किया जाता है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राज्य समाज कल्याण मंत्रियों और राज्य समाज कल्याण सचिवों के सम्मेलन भी आयोजित करता है जिनमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की सभी स्कीमों की समीक्षा की जाती है।

1.7 विभाग को वित्त वर्ष 2019-20 में आवंटित निधियों के संवितरण और उपयोग में असमान गति और विलंब के बारे में अत्यंत चिंतित होकर समिति ने नोट किया कि इसके परिणामस्वरुप न केवल वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में निधियों का जल्दबाजी में उपयोग किया गया बल्कि इस तिमाही में निधियों के केवल 25 प्रतिशत का उपयोग किए जाने के वित्त मंत्रालय के अनुदेशों का उल्लंघन भी हुआ। समिति इस बात को दोहराती रही है कि वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में निधियों के बड़े हिस्से का उपयोग किया जाना मानदंड नहीं बनना चाहिए क्योंकि निधियों का समय पर संवितरण विभाग की विभिन योजनाओं अर्थात् अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, नेशनल एक्शन प्लान और ड्रग डिमांड रिडक्शन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं इत्यादि के अंतर्गत लक्षित समूहों के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समिति पाती है कि विभाग ने अपने की गई कार्रवाई प्रतिवेदन के छठे प्रतिवेदन में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का कोई उत्तर नहीं दिया है अर्थात् (एक) जिन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को समुचित प्रस्ताव तैयार करने के लिए सहायता की आवश्यकता है व्यक्तिगत रुप से उनमें जाने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व निर्धारित करना (दो) स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगना और (तीन) यदि राज्य सरकार से 60 दिन के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है तो निधि को जारी रखने के किसी निर्णय के बारे में समिति को सूचित करना बशर्ते कि कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा बाकी सभी मानदंड पूरे कर लिए गए हों। जैसा कि विभाग द्वारा स्थिति को सुधारने के लिए कथित रुप से कुछ कदम उठाए गए हैं, समिति चाहती है कि विभाग समिति को उन डिवीजन प्रमुखों की सूची उपलब्ध करवाए जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/या क्षेत्रों का नोडल अधिकारी बनाया गया है और वह तिथि भी बताई जाए जब यह निर्णय लिया गया और उन क्षेत्रों, यदि कोई हो, का ब्यौरा दिया जाए जिनका उन्होंने 2019 से अब तक कोविड महामारी के बाद दौरा किया है। समिति यह भी चाहती है कि राज्य के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ सम्मेलनों के दौरान हुई चर्चा का सारांश प्रस्तुत किया जाए और यह भी बताया जाए कि मंत्रालय ने संगत बिंदुओं पर क्या कार्रवाई की है।

ख. बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)

सिफारिश (पैरा सं. 3.25)

1.8 समिति ने अपने छठे मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश की थी:

"समिति नोट करती है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण करने के लिए बनी है ताकि बच्चों/छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने

के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रावास उपलब्ध कराती है जो देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों के लिए अत्यधिक लाभप्रद है। तथापि, समिति हतप्रभ है कि यह योजना ठीक से कार्य नहीं कर रही है। समिति ने देखा कि 2016-17 के अलावा इस योजना के अंतर्गत 2015-16 से निधियों के कम उपयोग का रूझान है। वर्ष 2017-18 में 155.00 करोड़ रूपए के संशोधित अनुमान की तुलना में विभाग ने केवल 74.91 करोड़ रूपए का उपयोग किया जो बजट आवंटन के 50 प्रतिशत से भी कम है। वर्ष 2019-20 में विभाग को 107.76 करोड़ रूपए आवंटित किए गए थे जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 25.00 करोड़ रूपए किया गया। 25.00 करोड़ रूपए के संशोधित अनुमान में से 31.01.2020 तक केवल 07.60 करोड रूपए का उपयोग किया गय। जारी की गई निधियों के रूझान से भी एक निराशाजनक तस्वीर सामने आती है क्योंकि 17 में से केवल 7-8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ही धनराशि प्राप्त की। इनमें से केवल केरल राज्य ने ही सौ छात्रावासों का निर्माण किया और शेष में नाम मात्र के लिए ही छात्रावासों का निर्माण हुआ है जो नितांत रूप से निराशाजनक है। समिति चाहती है कि उसे ऐसे निराशाजनक निष्पादन के कारणों के बारे में बताया जाए और यह भी बताया जाए कि निधियों के उपयोग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। समिति ने आगे पाया कि वर्ष 2019-20 में बजट अनुमान के रूप में 107.00 करोड़ रूपए की मांग की गई थी क्योंकि विभाग ने पांच आवासीय विद्यालयों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसे अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय को भेजा गया था तथापि, जिसे अस्वीकृत किया गया था। इस योजना के अंतर्गत निर्मित, जो कि बहुत ही कम हैं, बाल छात्रावासों की संख्या पर विचार करते हुए समिति ने विभाग से आवासीय विद्यालयों के अपने प्रस्ताव को संशोधित करने के लिए कहा क्योंकि इस योजना के प्रयोजन को पूरा करने के लिए यह एक बेहतर विकल्प है। **”**

1.9 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि**:-**

- वर्ष 2017-18 के दौरान, एक नया घटक अर्थात् अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना हेतु 'बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)' से संबंधित प्रस्ताव विचारार्थ व्यय वित्त समिति (ईएफसी) को भेजा गया था। प्रस्ताव के अनुमोदन की प्रत्याशा में, वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए बीजेआरसीवाई के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि आबंटित की गई थी। तथापि, यह प्रस्ताव व्यय वित्त समिति द्वारा कार्यान्वयन हेतु संस्तुत नहीं किया गया था।

- बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) के अंतर्गत, अनुसूचित जाति के बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण/विस्तार हेतु पात्र कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) की योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुमत्य लागत का 50%, जो प्रति सहवासी 3.00 लाख रुपए है, अनुसूचित जाति के बालक-बालिका छात्रावासों के निर्माणार्थ राज्य सरकार को प्रदान किया जाता है। अत: बालिका छात्रावासों की तुलना में बीजेआरसीवाई के अंतर्गत बालक छात्रावासों के निर्माण के प्रस्ताव प्रस्तुत करने में राज्य सरकारों का रिसपॉन्स कम रहा है, जहां 100% अनुमत्य लागत अनुमान की राशि उन्हें प्रदान की जाती है।
- उपर्युक्त कारणों की वजह से, वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान में बजट आवंटन उपयोग में नहीं लाया जा सका। साथ ही, बीजेआरसीवाई के दिशा-निर्देश वर्ष 2018-19 में संशोधित किए गए हैं और संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/राज्य विद्यालयों को अनुसूचित जाति के छात्रावासों का निर्माण/विस्तार करने हेतु अनुमत्य केन्द्रीय सहायता दो किश्तों में जारी की जाती है। हालांकि, पूर्ववर्ती योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, छात्रावासों की स्वीकृति के समय इन कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को 100% अनुमत्य केन्द्रीय सहायता जारी करने की व्यवस्था उपलब्ध थी।
- कुछ मामलों में, यह देखा गया था कि जिस स्थान हेतु छात्रावास स्वीकृत किए थे वहां पर उनका निर्माण नहीं किया गया था क्योंकि स्वीकृति के उपरांत भूमि विवाद उत्पन्न हो गया था। अत: संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, विवाद रहित और अतिक्रमण रहित भूमि की उपलब्धता के बारे में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य बना दिया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत छात्रावासों के निर्माण हेतु स्वीकृति संबंधित राज्य सरकारों एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों से योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यथोचित प्रस्तावों और पूर्ण दस्तावेजों/सूचना की प्राप्ति पर निर्भर करती है, जैसे विस्तृत लागत अनुमान, भूमि दस्तावेज, भवन योजना, स्थल योजना, फीडर संस्थानों/कालेजों के अनुसूचित जाति के छात्रों की सूची, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र, पूर्व में स्वीकृत छात्रावासों की वास्तविक एवं वित्तीय रिपोर्टें, आदि। वस्तुत: राज्य सरकारें अपनी जरूरतों के अनुसार बीजेआरसीवाई के अंतर्गत छात्रावासों के निर्माणार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। तथापि, कई मामलों में राज्य सरकारें और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां समय पर और विभाग द्वारा बार-बार अनुस्मारक भेजने पर भी अपने पूर्ण प्रस्ताव/दस्तावेज नहीं भेजते हैं। परिणामत: कम छात्रावास स्वीकृत किए जाते हैं और कम धनराशि का उपयोग होता है।

साथ ही, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे उन जिलों के लिए प्रस्ताव नियमित रूप से प्रस्तुत करें जो इस योजना के अंतर्गत समाविष्ट नहीं हैं। विभाग ने धनराशियों के उपयोग हेतु कई कदम उठाए हैं, जैसे संचालन समिति की नियमित वीडियो कॉनफ्रेंसिंग और बैठकों का आयोजन करना। दिनांक 28.06.2019 और दिनांक 07.01.2020 को आयोजित संचालन समिति की बैठकों के दौरान, कार्यान्वयन एजेंसियों को जोर देकर कहा गया था कि वे अपेक्षित दस्तावेज/सूचना समय पर प्रस्तुत करें ताकि संबंधित राज्यों में छात्रावासों की स्वीकृति की जा सके।

- विभाग ने अब देश भर में अनुसूचित जातियों के वास्ते कक्षा VI-XII तक आवासीय स्कूलों की स्थापना करने के लिए अम्बेडकर नवोदय विद्यालय (एएनवी) योजना शुरू करके बीजेआरसीवाई की मौजूदा योजना का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव पुन: किया है। सिद्धांतत: प्रस्ताव पर व्यय विभाग के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों के अभाव में और योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोई भी छात्रावास वर्ष 2019-20 के दौरान अन्य राज्यों में स्वीकृत नहीं किया जा सका था।"

1.10 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में 'बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना' (बीजेआरसीवाई) में वर्ष 2016-17 को छोड़कर वर्ष 2015-16 से अब तक निधियों के कम उपयोग की प्रवृत्ति का अवलोकन किया है। उदाहरण के लिए वर्ष 2019-20 में विभाग कुल 25 करोड़ रु. के संशोधित अनुमान में से केवल 07.60 करोड़ रु. ही उपयोग कर सका जो कि आबंटित बजट का लगभग 29 प्रतिशत ही है। समिति यह अवलोकन कर चिंतित है कि 17 राज्यों में से केवल 7-8 राज्यों को ही इस योजना के अंतर्गत निधियां जारी की गई थीं और सामान्यत: अधिकांश राज्यों ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण में निराशाजनक रुचि दिखाई है। समिति यह नोट कर भी खिन्न है कि पांच आवासीय विद्यालयों के निर्माण के प्रस्ताव को भी वित्त मंत्रालय के ईएफसी विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इस निराशाजनक प्रदर्शन के बारे में विभाग ने अपनी की गई कार्यवाही प्रतिवेदन में बताया था कि राज्य सरकारों ने लड़कों के छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने में कम रुचि दिखाई क्योंकि इस योजना के अंतर्गत उन्हें केंद्रीय सहायता के रुप में स्वीकार्य लागत के आकलन का 50 प्रतिशत ही प्राप्त होता है। इसे और स्पष्ट करते हुए विभाग ने यह जानकारी दी कि पूर्व योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को 100 प्रतिशत ग्राह्य केंद्रीय सहायता जारी की गई थी, परंतु संशोधित योजना दिशानिर्देश के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए छात्रावासों के निर्माण/विस्तार के लिए ग्राह्य केंद्रीय सहायता राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों को दो किश्तों में जारी की जाती है। विभाग ने आगे बताया कि संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्यान्वयनकारी एजेंसियों द्वारा बिना किसी विवाद और अतिक्रमण

वाली भूमि की उपलब्धता के बारे में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना भी अनिवार्य है क्योंकि कुछ मामलों में स्वीकृति पश्चात् भूमि विवाद से छात्रावासों का निर्माण स्थगित हो गया है। समिति ने यह भी जानकारी दी है कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों के निर्माण हेतु अम्बेडकर नवोदय विद्यालय (एएनवी) नामक एक नई योजना का प्रस्ताव बीजेआरसीवाई की पुनर्संरचना के लिए किया गया है। यद्यपि इस योजना की मंजूरी व्यय विभाग द्वारा प्राप्त होना अपेक्षित है, समिति को अभी भी इसकी सफलता पर आशंका है क्योंकि बीजेआरसीवाई वर्ष 1960-61 से चालू किए जाने एवं वर्ष 2008, 2018 में अनेक संशोधन किए जाने के बावजूद अभी बहुत कम अच्छा प्रदर्शन कर पाई है। यद्यपि समिति यह समझती है कि कुछ राज्य अपने संसाधनों के हिस्सों तथा छात्रावासों के लिए विवाद रहित भूमि प्रदान नहीं करते हैं, विभाग द्वारा अपनी तरफ से अड़चनों को दूर किए जाने के प्रयासों के बावजूद वह महसूस करती है कि इसके सार्थक प्रभाव के बावजूद परिलक्षित अड़चनों को दूर करने की दिशा में नवीन समाधानों के साथ सतत निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। समिति की इच्छा है कि योजना के लिए आवश्यक बल के निर्माण में प्रथम चरण के रुप में विभाग को राज्यों के सामाजिक कल्याण विभाग के साथ सीधी वार्ता शुरु करनी चाहिए तथा उन्हें प्रतिभाशाली अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के सामाजिक तथा शैक्षिक उत्थान हेतु बीजेआरसीवाई जैसी योजनाओं के महत्व का विश्वास दिलाना चाहिए।

समिति उपर्युक्त संदर्भित सभी मामलों में होने वाली प्रगति से अवगत होना चाहती है।

ग. भिखारियों के पुनर्वास के लिए योजना

सिफारिश (पैरा सं. 5.12)

1.11 समिति ने अपने छठे मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश की थी:

" समिति नोट करती है कि भिक्षावृत्ति भारत में सबसे गंभीर सामाजिक मुद्दों में से एक है। देश में कुछ भिखारी इसलिए भीख मांगते हैं क्योंकि वे विकलांग/कार्य करने में असमर्थ/वृद्ध/दिव्यांगजन आदि हैं। इस समय अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से काफी नीचे जीवनयापन करते हैं तथा उनके पास कोई संपति नहीं है और वे निरक्षर है तथा वे आजीविका अर्जित करने की अपेक्षा भीख मांगने का विकल्प चुनते हैं। तथापि, आमतौर पर यह माना जाता है कि लोगों की भावनाओं का गलत फायदा उठाने के लिए भिखारियों से जुडा माफिया इस काम को चलाता है जो कि सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है और यह विश्व में हमारे राष्ट्र के लिए बडे शर्म की बात है। समिति का सुविचारित मत है कि विभाग को भिक्षावृत्ति का विषय दिया गया है और इसलिए उन पर समाज में भिक्षावृत्ति की समस्या से निपटने की जिम्मेदारी है। समिति इस संबंध में पाती है कि विभाग ने देश के 10 शहरों में भिखारियों की पहचान और उनका पुनर्वास करने के लिए प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है। समिति महसूस करती है कि विभाग को यह कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। समिति चाहती है कि से इंदौर में इस परियोजना के परिणाम तथा इस संबंध में अन्य शहरों में हुई प्रगति के बारे में अवगत कराया जाए। "

1.12 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राज्य सरकारी/संघ राज्य क्षेत्रों/स्थानीय शहरी निकायों और स्वैच्छिक संगठनों, संस्थानों आदि की सहायता से भिक्षावृत्ति के काम में संलग्न व्यक्तियों के लिए एक स्कीम को तैयार करने का प्रस्ताव रखा है जो उनकी पहचान, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास को कवर करेगी। यह स्कीम प्रायोगिक तौर पर वित्त वर्ष 2019-20 से 10 चयनित शहरों में कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम को प्रायोगिक परियोजना के परिणाम के आधार पर बाद में वर्ष में अन्य शहरों में विस्तरित किया जाएगा।
- "भिखारियों की व्यापक पुनर्वास स्कीम" के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोकलाता, हैदराबाद, बंगलुरू, लखनऊ, पटना, नागपुर, इंदौर, 10 अभिज्ञात शहर हैं। स्कीम के लिए वित्त वर्ष 2019-20 में कुल 25 करोड़ रूपए और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 100 करोड़ रूपए आबंटित किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसके कार्यान्वयन के लिए स्कीम के अंतर्गत 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा की जाएगी। स्कीम में निम्नलिखित घटक हैं :

(i) सर्वेक्षण/पहचान
(ii) संघटन
(iii) बचाव/आश्रय गृह
(iv) व्यापक पुनर्वास

- मंत्रालय को इंदौर, पटना और हैदराबाद नगर निगमों से वार्षिक कार्य योजना प्राप्त हुई हैं और इंदौर को 1.5 करोड़ रूपए और हैदराबाद को 2.0 करोड़ रूपए और पटना नगर निगम को 0.94 करोड़ रूपए (पहली किश्त का 50 प्रतिशत) जारी किए गए हैं।

1.13 यह देखने के बाद कि विभाग द्वारा भिखारियों की पहचान करने और उनके पुनर्वास के लिए चार महानगरों अर्थात्, इंदौर, हैदराबाद, पुणे, पटना, लखनऊ और बेंगलुरु सहित दस शहरों में एक प्रायोगिक परियोजना शुरु की गई है, समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि परियोजना के परिणाम से उसे अवगत कराया जाए। विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में उक्त प्रायोगिक परियोजना का कोई परिणाम प्रस्तुत नहीं किया है और सिर्फ इतना सूचित किया है कि अनुवर्ती वर्षों में प्रायोगिक परियोजना के परिणाम के आधार पर यह योजना अन्य शहरों में लागू की जाएगी। समिति पहले यह

देखना चाहेगी कि क्या इस प्रायोगिक परियोजना से कोई वास्तवकि कार्य/उपलब्धि हुई है क्योंकि पहचाने गए दस शहरों में से केवल तीन शहरों अर्थात् इंदौर, पटना और हैदराबाद से वार्षिक कार्य योजना प्राप्त हुई है। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि शायद अधिक प्रगति नहीं हुई है क्योंकि उपरोक्त उल्लिखित शहरों के लिए 4.44 करोड़ रुपए की नगण्य राशि आवंटित की गई है। चार महानगरों जिनमें भिखारियों की समस्या गंभीर हो गई है जो कि अत्यंत निराशाजनक है, में से किसी ने भी इस मामले पर नितांत रुप से कोई कार्रवाई नहीं की है। समिति चाहती है कि संबंधित राज्य सरकारों को समिति की नाराजगी से अवगत कराया जाए और विभाग द्वारा राज्यों को यह समझाने के सद्प्रयास किए जाएं कि भिखारियों की मौजूदा समस्या को पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर होने तथा विश्व के सामने राष्ट्रीय शर्म बनने से रोका जाए।

अध्याय- दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

सिफारिश (पैरा सं. 3.14)

2.1 समिति नोट करती है कि अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में से सबसे पुरानी और अति महत्वपूर्ण योजनाओँ में से एक है जिसका उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या सेकंड्री के बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए अनुसूचित जातियों के छात्रों को अनुपूरक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। समिति पाती है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी नहीं कर सका। अतः समिति ने इच्छा व्यक्त की कि विभाग को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सचिव स्तर पर और जिला स्तर पर भी जोरदार ढंग से इस चीज को उठाना चाहिए और उन्हें निर्देश देना चाहिए कि वह कम से कम वित्त वर्ष तीसरी तिमाही के अंत तक पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करे दें ताकि विभाग समय पर निधि जारी कर सके और वह आवंटित की गई धनराशि का पूरा उपयोग कर सकें। यदि आवश्यक हुआ तो विभाग के अधिकारी जिले के जिलाधिकारी के साथ व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं और उन्हें जिला स्तर पर इस योजना के त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कह सकते हैं।

सरकार का उत्तर

2.2 अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है और इसे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जो पात्र छात्रों से आवेदन आमंत्रित करते हैं और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करते है। यह विभाग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र

प्रशासनों को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर उनकी प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त केंद्रीय सहायता जारी करता है। कभी-कभी, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए अपना प्रस्ताव समय पर नहीं भेजते हैं और जिसकी वजह से स्कीम का कार्यान्वयन प्रभावित होता है। इस समस्या का हल तलाश करने की दृष्टि से, लंबित और अपूर्ण प्रस्तावों के संबंध में चर्चा करने के लिए बार-बार बैठकों और वीडियो कान्फ्रेंस का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्धारित प्रपत्र सहित प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए पत्र भी परिचालित किए जाते है और उन्हें समय-समय पर अनुस्मारक भेजे जाते हैं। निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करने के परिणामस्वरूप, इस वर्ष की पहली तिमाही में ही हमें इस स्कीम को कार्यान्वित करने वाले 30 राज्यों में से 22 राज्यों से प्रत्याशित मांग प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, हम अंतर-राज्य परिषद की बैठक के दौरान राज्यों में इस स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। इसके अलावा, दिनांक 03.05.2018 को परिचालित स्कीम के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, धारा-XIV में यह प्रावधान है कि राज्यों की समेकित मांग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्तुत की जाएगी और केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए 31 दिसंबर के बाद प्रस्तुत की गई मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)
का.ज्ञा.सं.1-1/2020-संसद दिनांक: 3 सितंबर 2020

सिफारिश (पैरा सं. 3.15)

2.3 **समिति आगे पाती है कि पंजाब और बिहार राज्य में जहां यह योजना ठीक से कार्यान्वित नहीं हो पा रही है, निधि की मांग नहीं करते है, क्योंकि उनमें निधि का बिल्कुल ही उपयोग नहीं हुआ है या बहुत कम उपयोग हुआ है और इसलिए वह विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेज सकते हैं।**

समिति विशेष रूप से पंजाब के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में जानकर क्षुब्ध है और उन गरीब छात्रों की असहाय स्थिति को अच्छी तरह से समझ सकती है जिन्हें छात्रवृत्ति से वंचित किया गया है। अतः समिति विभाग से कहती है कि वह विशेष रूप से पंजाब और बिहार की राज्य सरकारों से कहे कि वह अपनी ओर से औपचारिकताओं को पूरी करें और लाभार्थियों को समय पर छात्रवृत्तियां जारी करें और विभाग को पूर्ण प्रस्ताव समय पर भेजें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इसके लिए एक ढांचा तैयार करे और मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे। छात्रवृत्तियों को सीधे ही लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित करना इस योजना के त्वरित और प्रभावी कार्यान्यन की दिशा में एक कदम हो सकता है। समिति को सूचित किया गया है कि डीबीटी के अंतर्गत सीधे ही छात्रों के बैंक खातों में धनराशि अंतरित करने का प्रस्ताव पहले ही मंत्रिमंडल के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है। अतः समिति चाहती है कि विभाग को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और लाभार्थियों के हित में इसे शीघ्र कार्यान्वित करना चाहिए। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में हुई वास्तविक प्रगति से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

2.4 बिहार राज्य सरकार ने दिनांक 09 अगस्त, 2018 के पत्र के तहत यह सूचित करते हुए वर्ष 2016-17 के लिए केंद्रीय सहायता जारी करने हेतु प्रस्ताव इसलिए प्रस्तुत नहीं किया था क्योंकि राज्य की मांग प्रतिबद्ध देयता के भीतर थी और अतः कोई केंद्रीय सहायता देय नहीं थी। तत्पश्चात् राज्य ने वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए प्रस्तुत भेजे थे जिनमें भी उनकी मांग संशोधित प्रतिबद्ध देयता के भीतर थी और अतः कोई केंद्रीय सहायता देय नहीं थी। पंजाब सरकार के मामले में राज्य ने वर्ष 2011-12 से 2016-17 की अवधि के लिए स्कीम की लेखा-परीक्षा कराई है। लेखा-परीक्षा की जांच के निष्कर्शों के अनुसार, पंजाब सरकार ने दिनांक 28.01.2020 के पत्र के तहत वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 309.21 करोड़ रूपए की मांग की थी।

पंजाब सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार 309.21 करोड़ रूपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है और वर्तमान में कोई लंबित बकाया राशि नहीं है। वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 की मांग पंजाब सरकार की प्रतिबद्ध देयता के भीतर है और इसलिए कोई केंद्रीय सहायता देय नहीं है। राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के लिए किसी मांग का ब्यौरा नहीं भेजा है। पंजाब सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित आधार पर पत्र लिखे जाते हैं और उनसे निर्धारित प्रपत्र में नियमित आधार पर प्रस्ताव भेजने के लिए अनुरोध किया जाता है। जहां तक छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्य से सीधे निधियों को अंतरित करने संबंधी प्रस्ताव का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि इस स्कीम को राज्य सरकार के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जो केंद्र सरकार से केंद्रीय सहायता के रूप में प्राप्त निधियों और राज्य सरकार की प्रतिबद्ध देयता के अनुसार छात्रवृत्तियां संवितरित की जाती है। तदनुसार, छात्रवृत्तियां का संवितरण राज्य सरकार के छात्रवृत्ति के डीबीटी पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

का.ज्ञा.सं.1-1/2020-संसद दिनांक: 3 सिंतंबर 2020

सिफारिश (पैरा सं. 3.16)

2.5 समिति को अब सूचित किया गया है कि विभाग ने केंद्र का हिस्सा बढाकर 90:10 से 60:40 करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। समिति यह देखकर व्यथित है कि वित्त मंत्रालय द्वारा पारित किए जाने के बावजूद यह प्रस्ताव अभी भी मंत्रिमंडल के विचाराधीन है और अतः समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल से अनुमोदित कराने के लिए गंभीरता से आगे बढाए और इसे यथाशीघ्र कार्यान्वित करे। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में नवीनतम स्थिति से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

2.6 वर्तमान में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के वित्त-पोषण का ढांचा केंद्र और राज्य के बीच निर्धारित शेयरिंग प्रतिशत पर आधारित नहीं है। यह प्रतिबद्ध देयता पर आधारित है। केंद्र सरकार इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष के लिए मांग का वह भाग जारी करती है, जो राज्य की प्रतिबद्ध देयता से अधिक होता है। इस स्कीम के अंतर्गत व्यय के अंश को निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें प्रतिबद्ध देयता की संकल्पना पर आधारित वर्तमान प्रणाली के स्थान पर 60 (केंद्र) : 40 (राज्य) के निर्धारित अनुपात में वार्षिक मांग पूरी करेंगी, मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों संबंधी समिति के विचारार्थ है और अतः इस पर अनुमोदन प्रतीक्षित है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के मामले में, केंद्र का शेयर 100% होगा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)
का.ज्ञा.सं.1-1/2020-संसद दिनांक: 3 सितंबर 2020

सिफारिश (पैरा सं. 3.26)

2.7 समिति यह भी चाहती है कि विभाग उस इस बात से भी अवगत कराए कि अन्य राज्यों में वर्ष 2019-20 में किसी छात्रावास का निर्माण क्यों नहीं हुआ और इस योजना के अंतर्गत राज्यवार निर्मित

किए गए सभी छात्रावासों के पते भी बताए जैसा कि विभाग ने साक्ष्य के दौरान स्वीकार किया था। समिति का मत है कि यदि राज्यों द्वारा छात्रावासों के निर्माण के लिए निधियों का उचित ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है तो विभाग अनुसूचित निर्वाचन क्षेत्रों में संसद सदस्यों/विधायको के सुझाव भी ले सकता है क्योंकि उन्हें अपने लोगों की जरूरतों और आवश्यकताओं की भली-भांति जानकारी होती है और वह अपेक्षित प्रस्ताव तैयार करवा सकते है जिससे इस योनजा के उद्देश्यों को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा।

सरकार का उत्तर

2.8 बीजेआरसीवाई के अंतर्गत छात्रावासों के निर्माणार्थ प्रस्तावों की स्वीकृति पर विचार करते समय, एससी निर्वाचन क्षेत्रों सहित संसद सदस्यों/विधायकों से प्राप्त सिफारिशों को ध्यान में रखा जाता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)
का.ज्ञा.सं.1-1/2020-संसद दिनांक: 3 सितंबर 2020

सिफारिश (पैरा सं. 3.37)

2.9 समिति नोट करती है कि 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले चुनिंदा गांवों का समेकित विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एक महत्वपूर्ण स्कीम है। इस स्कीम का उद्देश्य गांवों के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार लाना है। वर्ष 2015-16 से संसाधन आवंटन तथा व्यय यह दिखाते हैं कि वर्ष 2016-17 तथा 2018-19 में 95 प्रतिशत से अधिक धनराशि का उपयोग किया गया। यह व्यय संशोधित अनुमान से कहीं अधिक था। तथापि, वर्ष 2019-20 में 15.02.2020 तक केवल 55 प्रतिशत धनराशि का उपयोग हुआ। समिति की राय में यह शायद पहली और दूसरी तिमाही में संवितरण की धीमी गति के कारण हुआ। हो सकता है यह उस

अवधि में राष्ट्रीय चुनाव करवाये जाने के कारण हुआ हो। समिति आशा करती है कि विभाग इस वित्तीय वर्ष के शेष बचे दो महीनों में शेष धनराशि खर्च करने में समर्थ होगा। विभाग इस बारे में काफी आश्वस्त भी दिख रहा है।

सरकार का उत्तर

2.10 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) के अंतर्गत संशोधित अनुमान के स्तर पर 718.00 करोड़ रुपए के कुल आवंटन के प्रति, 717.96 करोड़ रुपए की रकम वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही जारी की जा चुकी है, अत: वित्तीय वर्ष के अंत में आबंटित धनराशियां पूर्णत: उपयोग में लाई गई हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)
का.ज्ञा.सं.1-1/2020-संसद दिनांक: 3 सिंतंबर 2020

सिफारिश (पैरा सं. 3.38)

2.11 समिति पाती है कि इस स्कीम में कई अन्य स्कीमें मिला दी गई हैं और ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इत्यादि इस स्कीम के क्रियान्वयन में सक्रियता से शामिल हैं। समिति का यह सुविचारित मत है कि जब क्रियान्वयन के चरण पर दो या दो से अधिक विभाग/मंत्रालय शामिल होते हैं तब वांछित परिणाम हेतु योजना का उचित और कारगर क्रियान्वयन मुश्किल हो जाता है। ऐसे मामलों में एक विभाग जब अपने हिस्से की निधियां जारी कर देता है तो यह आवश्यक नहीं हे कि दूसरे मंत्रालयों के साथ समन्वयन करके दूसरे विभाग/मंत्रालय भी अपने हिस्से की धनराशि जारी कर दें। इससे अंततः गांवों की वह अनुसूचित जाति आबादी परेशान होती है जिसके सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार की बेहद आवश्यकता होती है, और इस तरह स्कीम का पूरा उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है। इसलिए समिति राय व्यक्त करती है कि इन

कारकों का एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने की जरूरत है और यदि भारत सरकार के विभिन्न विभागों में आपसी तालमेल की कमी के कारण विकास की गति में बाधा पड रही है तो विभाग को अन्य मंत्रालयों के साथ मिल जुलकर इस योजना को लागू नहीं करना चाहिए। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए विभाग को अन्य मंत्रालयों/विभागों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और गांव स्तर पर इसके त्वरित कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र रूप से इसकी निगरानी करनी चाहिए क्योंकि समिति का मानना है कि अपनी स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसूचित जाति आबादी के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए यह विभाग ही पूरी तरह जिम्मेदार है। इस संबंध में, इसी मंत्रालय के दिव्यांगजन विभाग ने अपनी योनजाओं की निगरानी के लिए मोबाइल-बेस्ड कलर कोडिंग एप्लीकेशन लागू किया है। इस स्कीम की बेहतर निगरानी के लिए इसको अपनाया जा सकता है। समिति का सुझाव है कि एक अच्छी मंशा से इसकी संभावना की तलाश करनी चाहिए।

सरकार का उत्तर

2.12 यद्यपि, यह योजना अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के अभिसरण पर काफी निर्भर करती है, तथापि कार्यान्वयन स्तर पर वास्तविक अभिसरण का ध्यान ग्राम एवं जिला स्तरीय अभिसरण समितियों द्वारा रखा जा रहा है जिसमें, अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ संगत विभागों के प्रतिनिधि होते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा इस योजना का स्वतंत्र रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है और इसकी निगरानी की जा रही है तथा एक वैब आधारित एमआईएस इस योजना के लिए विकसित किया गया है ताकि इस योजना के अंतर्गत वास्तविक समय प्रगति का जायजा लिया जा सके।

- चुने हुए गांवों का एकीकृत विकास का लक्ष्य प्राथमिकत: एक कनवर्जेंट तरीके से केन्द्र और राज्य सरकारों की मौजूदा योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से हासिल किया जाना है, जिससे गुणवत्ता सेवाओं और अवसंरचना विकास तक पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। यदि कोई कमी हो, तो प्रति गांव 20.00 लाख रुपए की रकम आबंटित की जाती है ताकि स्वतंत्र रूप से या अन्य योजनाओं की गतिविधियों के अभिसरण में विकासात्मक कार्यकलाप किए जा सकें। अत: यह योजना एक स्वतंत्र के रूप में कार्यान्वित की जा रही है और एक स्थान पर अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों की योजनाओं के एकीकरण हेतु एक मंच प्रदान करती है।

- यह मंत्रालय भी नियमित अंतरालों पर स्वतंत्र मूल्यांकन करता है ताकि उद्देश्य प्राप्ति और अभिसरण प्राप्ति की सीमा का जायजा लिया जा सके तथा उनकी सिफारिशों के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)
का.ज्ञा.सं.1-1/2020-संसद दिनांक: 3 सिंतबर 2020

सिफारिश (पैरा सं. 4.11)

2.13 समिति नोट करती है कि ओबीसी हेतु मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति का प्रमुख उद्देश्य मैट्रिक पूर्व स्तर पर अध्ययनरत ओबीसी बच्चों को प्रेरित करना है। छात्रवृत्तियां ओबीसी के उन छात्रों को प्रदान की जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से प्राप्त आय 250000/- रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। समिति नोट करती है कि वर्ष 2015 से इस योजना के अंतर्गत सं.अ. स्तर पर आवंटित निधि के कम उपयोग की प्रवृत्ति निरंतर बनी हुई है। ब.अ. स्तर पर वृद्धि के बावजूद औ.अ. लगभग 121-128 करोड़ रूपए के करीब बना रहा और वर्ष 2016-17 को छोड़कर लाभार्थियों की संख्या 30 से 35 लाख बनी रही है जबकि इसकी राशि के अंतर्गत 154.59 लाख लाभार्थियों के बारे में बताया गया है। इस संबंध में वर्ष 2019-20 में लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के अतिरिक्त समिति चाहती है कि उसे बताया जाए कि वर्ष 2016-17 के बाद लाभार्थियो की संख्या में गिरावट क्यों आई। विभाग ने इसके कारण निरंतर कम उपयोग और वही पुराने मुद्दे जैसे कि पूर्ण प्रस्तावों और उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत नहीं किया जाना बताया है जो कि किसी राज्य/संघ राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी को अतिरिक्त राशि जारी करने के अनिवार्य प्रावधान हैं। समिति इससे सतुंष्ट नहीं है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विभाग द्वारा किए गए प्रयासों से राज्यों/और संघ राज्यों से उपयोग प्रमाण पत्र और पूर्ण

प्रस्तावों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं और विभाग ने वर्ष 2016-17 को छोड़कर गत पांच वर्षों के दौरान वस्तुतः ऐसी ही स्थिति बनाए रखने दी है। इसलिए समिति उनसे आग्रह करती है कि इस मामले को कभी-कभी पत्र भेजने के बजाय महीने में कम से कम एक बार नियमित अंतराल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उच्चतम स्तर पर उठाया जाए जैसा कि अभी किया जा रहा है।

सरकार का उत्तर

2.14 स्कीम के अंतर्गत आबंटित बीई/आरई के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक निधि जारी की गई। इसके अलावा, जैसा कि उल्लेख किया गया है 220.00 करोड़ रुपए में से 2019-20 के दौरान 201.57 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है। 22.00 करोड़ रुपए (बीई का 10 प्रतिशत) की निधियों में से निम्नलिखित विवरणानुसार एनईआर राज्यों से कम मांग के कारण 18.43 करोड़ रुपए अव्ययित थेः

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	**एनई शीर्ष अनुमान**	**उपयोग**	**अव्ययित**
2015-16	15.00	1.54	13.46
2016-17	15.00	2.14	12.86
2017-18	15.00	1.44	13.56
2018-19	23.20	3.34	19.86
2019-20	22.00	3.57	18.43

- ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम को 50:50 के शेयरिंग पैटर्न के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार समेकित वास्तविक उपलब्धि प्रस्तुत करती है, जिसमें केंद्रीय शेयर के साथ-साथ राज्य शेयर के लाभार्थी शामिल होते हैं। वर्ष 2016-2017 के दौरान कुछ राज्यों जैसे बिहार, कर्नाटक, झारखंड आदि ने केंद्रीय शेयर की तुलना में राज्य शेयर से अधिक बजट खर्च किया। अतः स्कीम के अंतर्गत 2016-17 के दौरान वास्तविक उपलब्धि में बेहद वृद्धि हुई। इसके अलावा, वर्ष 2017-18 के दौरान, इस स्कीम के अंतर्गत बिहार और

कर्नाटक राज्य द्वारा कम व्यय किया गया, अतः 2017-18 में लाभार्थियों की संख्या में कमी आई। वर्ष 2015-16 में 48.67 लाख लाभार्थियों की संख्या की तुलना में वर्ष 2016-17 में 154.49 लाख करोड़ होने का कारण बिहार राज्य से 101.44 लाख लाभार्थियों का शामिल होना है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लाभार्थियों की कुल संख्या को जोड़ते समय 2016-17 के दौरान लाभार्थियों की संख्या 154.49 लाख दर्शाई गई है। 2019-20 के दौरान अनंतिम लाभार्थियों का कुल उपलब्ध डाटा 93.92 लाख दिखाया गया है।

- इसके अलावा, स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करने के लिए अ.शा. पत्र, ई-मेल, स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र भेजते हुए पूर्ण प्रस्ताव, चेक-लिस्ट और यूसी की मांग करते हुए विभाग द्वारा लगातार प्रयत्न किए जाते हैं। विभाग मामले को आगे बढ़ाने के लिए समय-समय पर कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस और समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)
का.ज्ञा.सं.1-1/2020-संसद दिनांक: 3 सिंतंबर 2020

सिफारिश (पैरा सं. 5.3)

2.15 समिति ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के अतंर्गत "उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019" की जांच की और उसके विषय में लोक सभा के प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस विधेयक को दिनांक 05.08.2019 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया और 26.11.2019 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया तथा 05.12.2019 को राष्ट्रपति द्वारा इस पर अनुमति दी गई और इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। समिति पाती है कि विभाग के पास उभयलिंगी व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने तथा योजनाएं तैयार करने और उनके लाभार्थ पहल करने तथा कल्याणकारी उपाय करने का अधिदेश है। समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि वर्ष 2016 में जब सदन इस विभाग को उभयलिंगी व्यक्तियों से संबंधित कार्य आवंटित किया गया था उसके तीन वर्षों से अधिक समय बीच जाने के बाद भी उन्होंने उनके कल्याण हेतु योजना बनाने अथवा कोई पहल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जैसा कि अभी तक किए गए अति अल्प आवंटन से स्पष्ट होता है। 2017-18 और 2019-20, (31.01.2020 तक) में इस प्रयोजनार्थ 4 करोड़ रूपये के बजटीय आवंटन में से एक रूपया भी खर्च नहीं किया गया था। इस प्रयोजनार्थ विभाग द्वारा बजटीय आवंटन का मात्र 50 प्रतिशत का उपयोग किया गया था। समिति को आशा है कि उपर्युक्त अधिनियम के पारित होने से अब विभाग के

पास उभयलिंगी व्यक्तियों के मुद्दों पर विचार करने तथा तदनुसार उनके कल्याण हेतु योजनाओं की विधायी शक्ति होगी और इससे बजटीय आवंटन में वृद्धि हो सकती है। उभयलिंगी समुदाय की मांगों को ध्यान में रखते हुए समिति आगामी वर्षों में उनके कल्याण हेतु अधिक आवंटन की भी सिफारिश करती है। वह विभाग से यह भी सिफारिश करती है कि वह इस मुद्दे पर विचार करते हुए संवेदनशील रहे तथा इस समुदाय के साथ परामर्श करके योजनाएं तैयार करे।

सरकार का उत्तर

2.16 मंत्रालय ने लोक सभा में "उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019" विधेयक प्रस्तुत किया है। विधेयक को लोक सभा द्वारा 05/08/2019 को और राज्य सभा द्वारा 26/11/2019 को पारित किया गया। 05/12/2019 को अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति प्रदान कर दी गई है और उसी तारीख को इसे भारत के राजपत्र में भी अधिसूचित कर दिया गया। इस मंत्रालय की दिनांक 10/01/2020 की राजपत्रित अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंध 10/01/2020 को लागू हुए।

- मंत्रालय ने "उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019" शीर्षक वाले अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए नियम प्रारूपित करने हेतु समिति का गठन किया। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप नियमों को जनता की टिप्पणियों और फीडबैक के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा गया। प्रारुप नियमों को टिप्पणियों हेतु राज्य सरकारों, मंत्रालयों/विभागों को भी अग्रेषित किया गया।
- विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों, राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच की गई और प्रारूप नियमों में अधिकतर सुझावों को शामिल कर लिया गया।
- मंत्रालय ने उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण की केंद्रीय सेक्टर स्कीम की तैयारी पर संदर्भगत नोट तैयार किया, जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्थानीय शहरी निकायों, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) और संस्थाओं आदि को शामिल करते हुए समाज में सामुदायिक जागरुकता और उभयलिंगी समुदाय के व्यक्तियों के पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, काउंसलिंग, कैशल विकास, वित्तीय सहायता को कवर करेगा। तथापि, चूंकि नए एसएफसी पर अभी प्रतिबंध लगा हुआ है अतः स्कीम को अगले वित्तीय वर्ष तक स्थगित कर दिया गया है।
- इसके अलावा, यह भी सूचित किया गया कि 2019-20 के दौरान मंत्रालय ने उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य कैंप आयोजित करने और कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए मंत्रालय के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) को निधियां जारी कीं।
- कोविड-19 के दौरान मंत्रालय को उभयलिंगी समुदाय के सदस्यों से प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने मंत्रालय से लॉकडाउन के दौरान सहयोग की मांग की है क्योंकि उनके जीवनयापन के साधन समाप्त हो गए हैं और वे जीवन जीने के लिए चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन प्रत्यावेदनों/ई-मेल का तुरंत उत्तर देते हुए मंत्रालय ने खाताधारी उभयलिंगी व्यक्तियों और जिन्होंने

मंत्रालय से सहायता मांगी थी, को एनबीसीएफडीसी के माध्यम से प्रति उभयलिंगी व्यक्ति 1500/- रुपए का निर्वाह भत्ता प्रदान किया। पूरे देश में लगभग 6176 उभयलिंगी व्यक्तियों को लगभग 92.64 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

- इसके अलावा, कुछ ऐसे उभयलिंगी व्यक्ति जिनके पास बैंक खाता नहीं हैं, ने भी सहायता का अनुरोध किया है। ऐसे उभयलिंगी व्यक्तियों का ब्यौरा मंत्रालय ने ई-मेल द्वारा संबंधित डीएम/डीसी को अग्रेषित कर दिया है ताकि जरूरतमंद उभयलिंगियों को 1500/- रुपए (प्रति व्यक्ति) की सहायता दी जा सके। मंत्रालय ने डीएम/डीसी से दी गई सहायता की प्रतिपूर्ति का ब्यौरा, यदि कोई हो, वो मंत्रालय को अग्रेषित करने का अनुरोध किया है।
- कोविड-19 लॉकडाउन में सामाजिक दूरी अथवा अन्य कारणों से उभयलिंगियों को हो रहे मानसिक तनाव और व्यग्रता के लिए दैनिक मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा एनबीसीएफडीसी के माध्यम से 14/4/2020 को "कोविड हेल्पलाइन" भी आरंभ की गई है।
- इसके अलावा, कोविड-10 लॉकडाउन के दौरान उभयलिंगी समुदायों को आ रही समस्याओं और उनके समुदाय के लिए पैकेज घोषित करने के उनके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने उभयलिंगी समुदाय के लिए निर्वाह भत्ता, मासिक राशन किट और चिकित्सीय सहायता सहित विशेष कोरोना राहत पैकेज पर विचार करने के लिए सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (आर्थिक और कल्याण उपायों के अधिकार-प्राप्त समूह के प्रमुख) को अनुरोध किया है।
- उपर्युक्त को देखते हुए यह स्पष्ट है कि मंत्रालय उभयलिंगी समुदाय (इसके लक्षित समूह में से एक) के कल्याणार्थ कई कदम उठा रहा है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

का.ज्ञा.सं.1-1/2020-संसद दिनांक: 3 सितंबर 2020

सिफारिश (पैरा सं. 5.8)

2.17 सभी आयु वर्गों विशेषकर बच्चों, किशोरों और युवाओं के बीच मादक पदार्थों का उपयोग देश विशेषकर दिल्ली और पंजाब में बहुत अधिक है। चूंकि मादक पदार्थों की उपलब्धता का मामला इस विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता इसलिए समिति नोट करती है कि गैर-सरकार संगठनों और अन्य पात्र संगठन के माध्यम से व्यवसायियों की पहचान उनकी काउंसलिंग, उपचार और पुनर्वास के लिए उनके द्वारा "मद्यपान और मादक पदार्थों के दुरूपयोग की रोकथाम" के लिए सहायता योजना कार्यान्वित की जा रही है। समिति विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ चार वर्षों अर्थात् 2015-16 से 2018-19 तक समस्त आवंटित संसाधनों का अपयोग करने के लिए सराहना करती है तथा 2019-20 (फरवरी 2020 तक) सं.अ. स्तर पर निधियों का केवल 71 प्रतिशत उपयोग उपलब्ध कराया गया था और

समिति आशा करती है कि शेष राशि जैसा कि स्वयं उनके द्वारा उत्तर में उल्लेख किया गया है, को वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में खर्च किया जाएगा। समिति यह भी पाती है कि मद्यपान और मादक पदार्थ दुरूपयोग रोकथाम की योजना का मादक पदार्थ मांग न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) में विलय किया जा रहा है और यह विलयकृत योजना का एक संघटन बन गया है जो संशोधन के अधीन है। समिति को इस संशोधन के परिणाम से अवगत कराया जाए। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 260 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है। समिति की इच्छा है कि विभाग को इस संबंध में सक्रिय होना होगा क्योंकि मादक पदार्थ व्यसिनी व्यक्ति फुटपार्थों, ट्रैफिक चौराहों, मेट्रो पिलर्स के नीचे और दिल्ली जैसे शहर के सीमांत क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। अतः इस योजना के अंतर्गत उन्हें सभी सहायता प्रदान करने के लिए आसानी से पहचाना जा सकता है। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में विभाग के दृष्टिकोण और योजना के बारे में अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

2.18 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2018-2025 की अवधि के लिए नशीली दवा की मांग में कटौती के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना की संकल्पना की और उसे शुरू किया जिसका उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवार के लिए निवारण, उपचार और पुनर्वास की दिशा में बहु-आयामी रणनीति के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्परिणामों को कम करना है। कार्य योजना के घटकों में निवारण शिक्षा और जागरूकता सृजन, उपचार और पुनर्वास, गुणवत्ता स्तर तय करना, इन घटकों में समग्र अम्ब्रैला क्षमता निर्माण के साथ-साथ कमजोर क्षेत्रों पर केंद्रित हस्तक्षेप शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विशिष्ट हस्तक्षेप, सर्वेक्षण, अध्ययन, मूल्यांकन और अनुसंधान आदि की भी परिकल्पना की गई है।

- वर्ष 2018-25 के लिए एनएपीडीडीआर का ध्यान प्रत्येक जिले में आईआरसीए की उपलब्धता, मौजूदा आईआरसीए का उपचार क्लीनिकों में रूपांतरण, सरकारी अस्पतालों में नशा मुक्ति उपचार सुविधाओं की उपलब्धता और बंदीगृहों, किशोर गृहों आदि जैसे बंद स्थानों पर है। एनएपीडीडीआर स्कीम का ध्यान केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों पर हैः

- सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में नशा-मुक्ति केंद्रों की स्थापना और सहायता करना।

- बंदीगृहों और किशोर गृहों जैसे बंद स्थानों और महिलाओं और बच्चों के ऐसे विशेष समूहों जिन्हें देखभाल और सुरक्षा और सुरक्षा आदि की जरूरत है, के लिए नशा-मुक्ति केंद्रों की स्थापना करना और उन्हें सहायता करना।

- यह मंत्रालय एनएपीडीडीआर के एक भाग के रूप में, निर्भरता पैदा करने वाले पदार्थ की मांग में कमी के लिए सामुदायिक भागीदारी और जन सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से देश भर में 131 जिलों के उच्च जोखिम वाले अभिज्ञात क्षेत्रों में हस्तक्षेप कार्यक्रम भी चला रहा है। इन कार्यक्रमों में आउटरीच और ड्राप-इन केंद्रों में और किशोरों एवं वयस्कों के बीच नशीली दवाओं के दुरूपयोग की शुरूआत में रोकथाम के लिए समुदाय आधारित संगति-परक हस्तक्षेप शामिल हैं। मंत्रालय ने नशीली दवा की मांग में कटौती (एनपीडीडीआर) के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के लिए निम्न व्यय किया है-

				करोड़ रूपए में
वर्ष	**बीई**	**आरई**	**व्यय**	**आरई का प्रतिशत**
2018-19	130	113.00	112.33	99.40
2019-20	135	135.00	134.88	99.91

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मद्यपान और नशीले पदार्थ दुरूपयोग निवारण सहायता स्कीम को दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी, 'नशीली दवा की मांग में कटौती के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना' के साथ विलय कर दिया है। इससे पहले, मंत्रालय मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरूपयोग के निवारण की सहायता के लिए केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा था, जिसके अंतर्गत, स्वैच्छिक संगठनों और अन्य योग्य एजेंसियों को अन्य बातों के साथ-साथ व्यसनियो के लिए (आईआरसीए) एकीकृत पुनर्वास केंद्रों के संचालन और रख-रखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। ये आईआरसीए निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, व्यसनियों की पहचान, प्रोत्साहक परामर्श, डिटाक्सीफिकेशन/नशा-मुक्ति और व्यक्ति का पूर्णतः ठीक होना, बाद की देखभाल और समाज की मुख्यधारा में पुनःशामिल करने के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। मंत्रालय ने विगत वर्षों के लिए यानि वर्ष 2015-16 से निम्नलिखित व्यय किया हैः

				करोड़ रूपए में
वर्ष	**बीई**	**आरई**	**व्यय**	**आरई का प्रतिशत**
2015-16	20.15	36.15	36.15	100
2016-17	35.00	47.00	47.00	100
2017-18	46.00	46.00	48.97	106.45

2018-19	50.00	80.00	80.00	100
2019-20	130.00	112.00	108.93	97.26
2020-21 (ति.1) (जून 2020 तक)	260.00	-	46.59	17.92

- मंत्रालय ने पंजाब और दिल्ली के नशीली दवाओं का दुरूपयोग करने वालों के लिए कार्य किया है और उपरोक्त राज्यों में निम्नलिखित संख्या में आईआरसीए, सीपीएलआई और ओडीआईसी केंद्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए चुना है।

क्र.सं.	**राज्य**	**आईआरसीए**	**ओडीआईसी**	**सीपीएलआई**
1.	**दिल्ली**	9	6	4
2.	**पंजाब**	27	2	1

- अब, मंत्रालय पूरे भारत में ओडीआईसी और सीपीएलआई केंद्रों पता लगा रही है और एनजीओ से ओडीआईसी और सीपीएलआई केंद्रों के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। मंत्रालय विशेषतः पंजाब और हरियाणा पर ध्यान केंद्रित करने के साथ पूरे भारत में इन केंद्रों की चयन प्रक्रिया में हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

का.ज्ञा.सं.1-1/2020-संसद दिनांक: 3 सिंतंबर 2020

अध्याय - तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

-शून्य-

अध्याय- चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

सिफारिश (पैरा सं.2.8)

4.1 समिति नोट करती है कि 2019-20 के दौरान विभाग ने 8885.00 करोड़ रूपए का बजट आवंटित किया था और विभाग ने 31.01.2020 तक 5740.19 करोड़ रूपए का उपयोग किया, जो कुल आवंटित निधियों का 64.6 प्रतिशत था। समिति यह भी नोट करती है कि 15.02.2020 को विभाग का उपयोग बढ़कर 6644.85 करोड़ रूपए हुआ जो कि सं.अ. स्तर पर आवंटित कुल निधियों अर्थात् सं.अ. 8885.00 करोड़ रूपए का 74.79 प्रतिशत हो गया। समिति यह नोटकर निराश है कि विभाग द्वारा निधियों के उपयोग की गति असमान हैं जो वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में अत्यंत धीमी है। लगभग 35 प्रतिशत बजट अप्रयुक्त पड़ा रहा तथा वित्त मंत्रालय के संशोधित निदेशों के अनुसार मंत्रालय/विभाग वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में अपने ब.अ. का मात्र 25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा में छूट प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव किया है तथा इसको नहीं मानने से 10 प्रतिशत अप्रयुक्त निधियां वापस करनी पड़ सकती है। देर से यूसी प्रस्तुत करना और पूर्ण प्रस्तावों की अप्राप्ति आवंटित बजट के पूर्ण उपयोग में विलंब के कारण हैं, समिति विभाग से यूसी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को स्पष्ट करते हुए प्रत्येक राज्य की निधियों की प्रत्येक किस्त जारी करने की रणनीति बनाने का आग्रह करती है। समय-सीमा के अंतर्गत यूसी के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विभाग को तत्काल इस मुद्दे को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ जोर-शोर के साथ उठाना चाहिए। अधिकारियों को राज्यों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने की जिम्मेदारी अंतरित की जाए जिसके लिए उचित प्रस्ताव तैयार करने हेतु सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि आवश्यक हो, इस मुद्दे को संबंधित राज्य प्राधिकारियों के

साथ उठाने के लिए स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की सहायता भी ली जा सकती है। समिति इससे भी अवगत होने की इच्छा व्यक्त करती है कि हाल का निर्णय कि 60 दिनों में राज्य प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो जारी रखा जाए क्या विभागीय योजनाओं पर भी लागू होता है।

सरकार का उत्तर

4.2 समिति की सिफारिश/निष्कर्ष नोट कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेख किया जाता है कि वर्ष 2019-20 के 8885.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में विभाग का कुल व्यय 8729.53 करोड़ रुपए था जो वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान का 98.25% था। तथापि, विभाग ने वित्तीय सहायता जारी करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से पूर्ण उपयुक्त प्रस्ताव और उपयोग प्रमाणपत्र आदि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए नोडल अधिकारियों को मंडलीय अध्यक्ष के रूप नामोदिष्ट किया है। इस विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का क्षेत्रीय दौरे के दौरान, बाधाओं की पहचान करने और सुधारात्मक उपाय करने की दृष्टि से विचार-विमर्श किया जाता है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राज्य समाज कल्याण मंत्रियों और राज्य समाज कल्याण सचिवों के सम्मेलन भी आयोजित करता है जिनमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की सभी स्कीमों की समीक्षा की जाती है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)
का.ज्ञा.सं.1-1/2020-संसद दिनांक: 3 सितंबर 2020

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक के पैरा संख्या **1.7** देखें)

सिफारिश (पैरा सं. 3.25)

4.3 समिति नोट करती है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण करने के लिए बनी है ताकि बच्चों/छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रावास उपलब्ध कराती है जो देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों के लिए अत्यधिक लाभप्रद है। तथापि, समिति हतप्रभ है कि यह योजना ठीक से कार्य नहीं कर रही है। समिति ने देखा कि 2016-17 के अलावा इस योजना के अंतर्गत 2015-16 से निधियों के कम उपयोग का रूझान है। वर्ष 2017-18 में 155.00 करोड़ रूपए के संशोधित अनुमान की तुलना में विभाग ने केवल 74.91 करोड़ रूपए का उपयोग किया जो बजट आवंटन के 50 प्रतिशत से भी कम है। वर्ष 2019-20 में विभाग को 107.76 करोड़ रूपए आवंटित किए गए थे जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 25.00 करोड़ रूपए किया गया। 25.00 करोड़ रूपए के संशोधित अनुमान में से 31.01.2020 तक केवल 07.60 करोड रूपए का उपयोग किया गय। जारी की गई निधियों के रूझान से भी एक निराशाजनक तस्वीर सामने आती है क्योंकि 17 में से केवल 7-8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ही धनराशि प्राप्त की। इनमें से केवल केरल राज्य ने ही सौ छात्रावासों का निर्माण किया और शेष में नाम मात्र के लिए ही छात्रावासों का निर्माण हुआ है जो निंतात रूप से निराशाजनक है। समिति चाहती है कि उसे ऐसे निराशाजनक निष्पादन के कारणों के बारे में बताया जाए और यह भी बताया जाए कि निधियों के उपयोग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। समिति ने आगे पाया कि वर्ष 2019-20 में बजट अनुमान के रूप में 107.00 करोड़ रूपए की मांग की गई थी क्योंकि विभाग ने पांच आवासीय विद्यालयों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसे अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय को भेजा गया था तथापि, जिसे अस्वीकृत किया गया था। इस योजना के अंतर्गत निर्मित, जो कि बहुत ही कम हैं, बाल छात्रावासों की संख्या पर विचार करते हुए समिति ने विभाग से आवासीय विद्यालयों

के अपने प्रस्ताव को संशोधित करने के लिए कहा क्योंकि इस योजना के प्रयोजन को पूरा करने के लिए यह एक बेहतर विकल्प है।

सरकार का उत्तर

4.4 वर्ष 2017-18 के दौरान, एक नया घटक अर्थात् अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना हेतु 'बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)' से संबंधित प्रस्ताव विचारार्थ व्यय वित्त समिति (ईएफसी) को भेजा गया था। प्रस्ताव के अनुमोदन की प्रत्याशा में, वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए बीजेआरसीवाई के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि आबंटित की गई थी। तथापि, यह प्रस्ताव व्यय वित्त समिति द्वारा कार्यान्वयन हेतु संस्तुत नहीं किया गया था।

- बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) के अंतर्गत, अनुसूचित जाति के बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण/विस्तार हेतु पात्र कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) की योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुमत्य लागत का 50%, जो प्रति सहवासी 3.00 लाख रुपए है, अनुसूचित जाति के बालक-बालिका छात्रावासों के निर्माणार्थ राज्य सरकार को प्रदान किया जाता है। अत: बालिका छात्रावासों की तुलना में बीजेआरसीवाई के अंतर्गत बालक छात्रावासों के निर्माण के प्रस्ताव प्रस्तुत करने में राज्य सरकारों का रिसपॉन्स कम रहा है, जहां 100% अनुमत्य लागत अनुमान की राशि उन्हें प्रदान की जाती है।
- उपर्युक्त कारणों की वजह से, वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान में बजट आवंटन उपयोग में नहीं लाया जा सका। साथ ही, बीजेआरसीवाई के दिशा-निर्देश वर्ष 2018-19 में संशोधित किए गए हैं और संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/राज्य विद्यालयों को अनुसूचित जाति के छात्रावासों का निर्माण/विस्तार करने हेतु अनुमत्य केन्द्रीय सहायता दो किश्तों में जारी की जाती है। हालांकि, पूर्ववर्ती योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, छात्रावासों की स्वीकृति के समय इन कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को 100% अनुमत्य केन्द्रीय सहायता जारी करने की व्यवस्था उपलब्ध थी।
- कुछ मामलों में, यह देखा गया था कि जिस स्थान हेतु छात्रावास स्वीकृत किए थे वहां पर उनका निर्माण नहीं किया गया था क्योंकि स्वीकृति के उपरांत भूमि विवाद उत्पन्न हो गया था। अत: संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, विवाद रहित और अतिक्रमण रहित भूमि की उपलब्धता के बारे में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य बना दिया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत छात्रावासों के निर्माण हेतु स्वीकृति संबंधित राज्य सरकारों एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों से योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यथोचित प्रस्तावों और पूर्ण दस्तावेजों/सूचना की प्राप्ति पर निर्भर करती है, जैसे विस्तृत लागत अनुमान, भूमि दस्तावेज,

भवन योजना, स्थल योजना, फीडर संस्थानों/कालेजों के अनुसूचित जाति के छात्रों की सूची, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र, पूर्व में स्वीकृत छात्रावासों की वास्तविक एवं वित्तीय रिपोर्टें, आदि। वस्तुत: राज्य सरकारें अपनी जरूरतों के अनुसार बीजेआरसीवाई के अंतर्गत छात्रावासों के निर्माणार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। तथापि, कई मामलों में राज्य सरकारें और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां समय पर और विभाग द्वारा बार-बार अनुस्मारक भेजने पर भी अपने पूर्ण प्रस्ताव/दस्तावेज नहीं भेजते हैं। परिणामत: कम छात्रावास स्वीकृत किए जाते हैं और कम धनराशि का उपयोग होता है। साथ ही, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे उन जिलों के लिए प्रस्ताव नियमित रूप से प्रस्तुत करें जो इस योजना के अंतर्गत समाविष्ट नहीं हैं। विभाग ने धनराशियों के उपयोग हेतु कई कदम उठाए हैं, जैसे संचालन समिति की नियमित वीडियो कॉनफ्रेंसिंग और बैठकों का आयोजन करना। दिनांक 28.06.2019 और दिनांक 07.01.2020 को आयोजित संचालन समिति की बैठकों के दौरान, कार्यान्वयन एजेंसियों को जोर देकर कहा गया था कि वे अपेक्षित दस्तावेज/सूचना समय पर प्रस्तुत करें ताकि संबंधित राज्यों में छात्रावासों की स्वीकृति की जा सके।

- विभाग ने अब देश भर में अनुसूचित जातियों के वास्ते कक्षा VI-XII तक आवासीय स्कूलों की स्थापना करने के लिए अम्बेडकर नवोदय विद्यालय (एएनवी) योजना शुरू करके बीजेआरसीवाई की मौजूदा योजना का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव पुन: किया है। सिद्धांतत: प्रस्ताव पर व्यय विभाग के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों के अभाव में और योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोई भी छात्रावास वर्ष 2019-20 के दौरान अन्य राज्यों में स्वीकृत नहीं किया जा सका था।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

का.ज्ञा.सं.1-1/2020-संसद दिनांक: 3 सितंबर 2020

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक के पैरा संख्या **1.10** देखें)

सिफारिश (पैरा सं. 5.12)

4.5 समिति नोट करती है कि भिक्षावृत्ति भारत में सबसे गंभीर सामाजिक मुद्दों में से एक है। देश में कुछ भिखारी इसलिए भीख मांगते हैं क्योंकि वे विकलांग/कार्य करने में असमर्थ/वृद्ध/दिव्यांगजन आदि हैं। इस समय अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से काफी नीचे जीवनयापन करते हैं तथा उनके पास कोई संपति नहीं है और वे निरक्षर है तथा वे आजीविका अर्जित करने की अपेक्षा भीख मांगने का विकल्प चुनते हैं। तथापि, आमतौर पर यह माना जाता है कि लोगों की भावनाओं का गलत फायदा उठाने के लिए भिखारियों से जुडा माफिया इस काम को चलाता है जो कि सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है और यह विश्व में हमारे राष्ट्र के लिए बडे शर्म की बात है। समिति का सुविचारित मत है कि विभाग को भिक्षावृत्ति का विषय दिया गया है और इसलिए उन पर समाज में भिक्षावृत्ति की समस्या से निपटने की जिम्मेदारी है। समिति इस संबंध में पाती है कि विभाग ने देश के 10 शहरों में भिखारियों की पहचान और उनका पुनर्वास करने के लिए प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है। समिति महसूस करती है कि विभाग को यह कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। समिति चाहती है कि से इंदौर में इस परियोजना के परिणाम तथा इस संबंध में अन्य शहरों में हुई प्रगति के बारे में अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

4.6 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राज्य सरकारी/संघ राज्य क्षेत्रों/स्थानीय शहरी निकायों और स्वैच्छिक संगठनों, संस्थानों आदि की सहायता से भिक्षावृत्ति के काम में संलग्न व्यक्तियों के लिए एक स्कीम को तैयार करने का प्रस्ताव रखा है जो उनकी पहचान, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास को कवर करेगी। यह स्कीम प्रायोगिक तौर पर वित्त वर्ष 2019-20 से 10 चयनित शहरों में कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम को प्रायोगिक परियोजना के परिणाम के आधार पर बाद में वर्ष में अन्य शहरों में विस्तरित किया जाएगा।

- "भिखारियों की व्यापक पुनर्वास स्कीम" के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोकलाता, हैदराबाद, बंगलुरू, लखनऊ, पटना, नागपुर, इंदौर, 10 अभिज्ञात शहर हैं। स्कीम के लिए वित्त वर्ष 2019-20 में कुल 25 करोड़ रूपए और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 100 करोड़ रूपए आबंटित किए गए हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसके कार्यान्वयन के लिए स्कीम के अंतर्गत 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा की जाएगी। स्कीम में निम्नलिखित घटक हैं :

(i) सर्वेक्षण/पहचान
(ii) संघटन
(iii) बचाव/आश्रय गृह
(iv) व्यापक पुनर्वास

- मंत्रालय को इंदौर, पटना और हैदराबाद नगर निगमों से वार्षिक कार्य योजना प्राप्त हुई हैं और इंदौर को 1.5 करोड़ रूपए और हैदराबाद को 2.0 करोड़ रूपए और पटना नगर निगम को 0.94 करोड़ रूपए (पहली किश्त का 50 प्रतिशत) जारी किए गए हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)
का.ज्ञा.सं.1-1/2020-संसद दिनांक: 3 सिंतंबर 2020

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक के पैरा संख्या **1.13** देखें)

अध्याय- पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के है

सिफारिश (पैरा सं.2.9)

5.1 समिति नोट करती है कि अनुसूचित जाति प्रभाग (एससीडी) द्वारा 2017-18 से संसाधनों का उपयोग यह दर्शाता है कि 2017-18 और 2018-19 में निधियों का उपयोग नहीं होने के कारण 34.18 करोड़ रूपए और 21.67 करोड़ रूपए वापस कर दिए गए थे। इसी प्रकार 2019-20 में 6,135 करोड़ रूपए में से प्रभाग ने (जनवरी, 2020) के अंत तक 3,980 करोड़ रूपए खर्च किए तथा शेष 2,155 करोड़ रूपए वित्तीय वर्ष के शेष दो महीने में खर्च के लिए बच गए। इसका अर्थ है कि जनवरी 2020 के अंत तक आवंटित संसाधनों का 35 प्रतिशत व्यय करने के लिए शेष पड़ा रहा।

पिछड़ा वर्ग प्रभाग (बीसीडी) की व्यय पद्दति यह दर्शाती है कि इस प्रभाग ने 2017-18 में 65.69 करोड़ रूपए वापस किया है, 2018-19 में 22 करोड़ रूपए अधिक व्यय किया है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के जनवरी, 2020 के अंत तक 1833 करोड़ रूपए में से मात्र 1,174 करोड़ रूपए व्यय किया जिससे वित्तीय वर्ष के शेष दो महीनों में व्यय करने हेतु 659 करोड़ रूपए शेष रह गए।

सोशल डिफेंस, मीडिया एंड रिसर्च (एसडीएमआर) की उपयोग पद्धति से यह पता चलता है कि 2017-18 में वर्ष के सं.अ. की तुलना में 1 करोड़ रूपए अधिक व्यय किए गए तथा 2018-19 में वर्ष के सं.अ. से 107 करोड़ रूपए अधिक व्यय किए गए। तथापि 2019-20 में जनवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार विभाग को अभी भी सं.अ. आवंटन (434 करोड़ रूपए) में से 134 करोड़ रूपए व्यय करना शेष है।

अतः यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति प्रभाग (एससीडी) के अंतर्गत लगातार आवंटित निधियों से कम प्रयोग हो रहा है जिसका प्रमुख कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यूसी एवं पूर्ण प्रस्तावों का समय से प्राप्त नहीं होना है। यद्यपि समिति स्वीकार करती है कि 2019-20 में अत्यंत कम उपयोग का कारण अप्रैल/मई, 2019 में राष्ट्रीय चुनावों के कारण संवितरण की धीमी गति का होना है, वह आशा करती है कि पर्याप्त शेष निधियां वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम महीनों में व्यय की जाएगी। इस प्रतिवेदन के संगत अध्यायों में विशिष्ट सिफारिशें की जाएगी लेकिन अर्थपूर्ण प्रभाव डालने के लिए यूसी एवं समय से पूर्ण प्रस्तावों की अप्राप्ति का मामला राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित अंतरालों पर उठाए जाएं।

समिति सं.अ. 2017-18 की तुलना 65.69 करोड़ रूपए वापस करने पर चिंता व्यक्त करते हुए 2018-19 में पिछड़ा वर्ग प्रभाग (बीसीडी) के अधीन सं.अ. चरण पर वस्तुतः प्रावधान से अधिक व्यय एवं पूर्ण उपयोग की प्रशंसा करती है तथा आशा व्यक्त करती है कि विभाग वित्तीय वर्ष के शेष दो महीनों में 2019-20 में बची हुई रूपए 659 करोड़ की राशि (जनवरी 2020 के अंत तक) को व्यय करने में सफल होगी। उसे इस बारे में प्राप्त परिणाम से अवगत कराया जाए।

एमडीएमआर की व्यय पद्धति के बारे में यह देखा जा सकता है कि 2017-18 और 2018-19 के दौरान वर्ष 2019-20 में वास्तविक व्यय सं.अ. से अधिक था तथा विभाग को 434 करोड़ रूपए में 134 करोड़ रूपए (जनवरी 2020 के अंत तक) अभी व्यय करना है। समिति को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान हुए वास्तविक व्यय के बारे में अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

5.2 वर्ष 2019-20 के दौरान, संशोधित चरण पर 8885.00 करोड़ रूपए के कुल आवंटन की तुलना में, इस विभाग ने 8729.53 करोड़ रूपए व्यय किए, जो 98.25% है। वर्ष 2019-20 के लिए विभाग का प्रभागवार अर्थात अनुसूचित जाति प्रभाग, पिछड़ा वर्ग प्रभाग और समाज रक्षा, मीडिया और अनुसंधान के बजट अनुमान, वास्तविक व्यय और संशोधित अनुमान के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत **अनुबंध-I** में दिया गया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)
का.ज्ञा.सं.1-1/2020-संसद दिनांक: 3 सितंबर 2020

अनुबंध

वर्ष 2019-20 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के बीई, आरई और व्यय (रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	**कार्यक्रम / योजनाओं**	**बजट का अनुमान (बीई)**	**अंतिम अनुमान (अंअ)**	**अपेक्षित व्यय**	%
योजनाएं					
एससीडी डिवीजन					
1.	एससी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	2926.82	2728.21	2711.31	99.38
2.	एससी और ओबीसी के लिए निःशुल्क कोचिंग	30.00	13.37	13.26	99.18
3.	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	390.00	717.96	717.83	99.98
4.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 को लागू करने हेतु	530.00	629.60	619.64	98.42

	मशीनरी को सशक्त करना				
5.	बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना	107.76	25.54	25.00	97.87
6.	एससी हेतु स्वै.सं. को सहायता	70.00	68.60	67.17	97.92
7.	अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	5.00	29.50	29.40	99.66
8.	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	30.00	20.20	20.00	99.01
9.	एससी 0.01 की मेरिट का उन्नयन	0.01	0.00	0.00	0.00
10.	अनुसूचित जाति उप योजना में विशेष केंद्रीय सहायता	1100.00	1114.73	1114.73	100.00
1 1.	एससी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	360.00	246.66	246.66	100.00
12.	मैनुअल स्केवेंजर्स के लिए स्व-रोजगार योजना	110.00	84.80	84.80	100.00

13.	एससी के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति.	20.00	30.00	25.68	85.60
14.	एससी हेतु उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा	40.50	40.05	39.71	99.15
15.	एससी के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	355.00	354.61	352.70	99.46
कुल एससीडी डिवीजन			**6075.09**	**6103.83**	**6067.89**	**99.41**
पिछड़ा वर्ग प्रभाग					
1.	ओबीसी के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति 91.50	220.00	220.00	201.31	201.31
2.	ओबीसी, डीएनटी और ईबीसी के कौशल विकास हेतु सहायता	30.00	34.00	34.00	100.00
3.	ओबीसी के बालक और बालिकाओं हेतु छात्रावास	30.00	21.30	21.29	99.95
4.	ओबीसी के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1360.00	1375.28	1299.19	94.47
5.	विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के शैक्षिक और	10.00	10.00	9.00	90.00

	आर्थिक विकास के लिए योजना				
6.	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	23.00	14.00	13.99	99.93
7.	अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	15.00	26.09	26.09	100.00
8.	अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	70.00	52.50	52.50	100
कुल पिछड़ा वर्ग प्रभाग		**1758.00**	**1753.17**	**1657.37**	**94.54**
सामाजिक रक्षा, मीडिया और अनुसंधान					
1.	मद्यपान और नशीले पदार्थ दुरुपयोग की रोकथाम के लिए योजना	130.00	112.00	108.93	97.26
2.	अनुसंधान अध्ययन और प्रकाशन	5.00	5.00	2.56	51.20
3.	सूचना और जन	45.00	14.66	10.01	68.28

	शिक्षा सेल				
4.	सामाजिक रक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता	3.00	3.00	3.00	100
5.	वरिष्ठ नागरिक के लिए एकीकृत कार्यक्रम	90.10	107.49	107.30	99.82
6.	वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	40.00	31.51	31.50	99.97
7.	नशीली दवा और नशीले पदार्थ दुरुपयोग पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण	0.99	0.09	0.00	0.00
8.	नशीली दवा की मांग में कमी पर राष्ट्रीय कार्य योजना	135.00	136.50	134.88	98.81
9.	भिखारियों के पुनर्वास हेतु समेकित कार्यक्रम	5.00	21.64	21.14	97.69
10.	ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए योजना	5.00	5.00	4.50	90.00
1 1.	राष्ट्रीय वयोश्री	0.01	0.01	0.00	0.00

	योजना				
कुल समाज रक्षा		**459.10**	**436.90**	**423.82**	**97.01**
विभाग की सभी योजनाओं हेतु कुल योग		**8292.19**	**8293.90**	**8149.08**	**98.25**
गैर योजनाएं					
स्थापना					
1.	सचिवालय	51.93	53.17	48.94	92.04
2.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग.	24.11	23.94	20.30	84.80
3.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग	9.46	9.06	7.53	83.11
4.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग	6.30	6.30	5.49	87.14
5.	विमुक्त और घुमंतू जनजातीय लोगों के लिए विकास कल्याण बोर्ड	0.00	0.40	0.00	0.00
कुल स्थापना		**91.80**	**92.87**	**82.26**	**88.58**
स्वायत्त निकाय					
1.	डॉ. बीआर अंबेडकर फाउंडेशन	1.00	1.00	1.00	100
2.	राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान	25.00	22.55	22.55	100.00
3.	डॉ. बीआर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक	5.00	4.67	4.67	100.00
4.	डॉ. बीआर	15.00	15.00	14.97	99.80

	अंबेडकर इंटरनेशनल				
कुल स्वायत्त निकाय		**46.00**	**43.22**	**43.19**	**99.93**
निवेश					
1.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	180.00	14.60	14.60	100.00
2.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम	35.00	35.00	35.00	100
3.	एससी के लिए वेंचर कैपिटल फंड	60.00	160.00	160.00	100.00
4.	पिछड़े वर्ग के लिए भविष्य निधि पूंजी	50.00	90.00	90.00	100.00
5.	एससी के लिए क्रेडिट गारंटी फंड	0.01	0.01	0.00	0.00
6.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम	130.00	155.40	155.40	100.00
कुल निवेश		**455.01**	**455.01**	**455.00**	**100.00**
कुल गैर योजनाएं		**592.81**	**591.10**	**580.45**	**98.20**
सकल योग (योजना + गैर-योजना)		**8885.00**	**8885.00**	**8729.53**	**98.25**

सिफारिश (पैरा सं. 2.10)

5.3 समिति को सूचित किया गया है कि सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय समिति बनाई है तथा उस निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य को उससे संबद्ध किया है। स्थानीय प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्रों की जमीनी हकीकत से अच्छी तरह अवगत होते हैं इसलिए उनका फीड बैक अत्यंत सहायक हो सकता है। वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अ.जा/अ.पि.व., वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य लक्षित समूहों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी भी कर सकते है तथा राज्य सरकारों से यूसी एवं प्रस्तावों के समय से प्रस्तुत किए जाने के मुद्दे पर बातचीत भी कर सकते हैं। इसलिए, समिति विभाग, से इसी तर्ज पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय समितियों के गठन किए जाने तथा इस समिति में उस निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित करने की भी सिफारिश करती है क्योंकि इससे योजनाओं की प्रभावोत्पादकता एवं कार्यान्वयन में अवश्य सुधार होगा।

सरकार का उत्तर

5.4 समिति की सिफारिश/निष्कर्ष नोट कर ली गई है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)
का.ज्ञा.सं.1-1/2020-संसद दिनांक: 3 सिंतंबर 2020

सिफारिश (पैरा सं. 3.43)

5.5 समिति नोट करती है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा स्थापित डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को डॉ. बी.आर. अंबेडकर के शताब्दी समारोहों के दौरान चिन्हित दीर्घकालिक योजनाओं और कार्यक्रमों की देखरेख करने, उनके प्रशासनिक प्रबंधन और उन्हें आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण जिम्मदारी दी गई थी। डॉ. बी.आर. अंबेडकर फाउंडेशन जिन स्कीमों को चला रहा है उनके नाम हैं- (एक) मेडिकल एंड स्कीम (दो) माध्यमिक (10वीं) परीक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए नेशनल मेरिट अवार्ड स्कीम (तीन) अनुसूचित जाति के उच्च माध्यमिक परीक्षा (12वीं कक्षा) के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए नेशनल मेरिट अवार्ड स्कीम (चार) महान संतों की जयंती/पुण्यतिथि संबंधी समारोह (पांच) अंतर्जातीय विवाहों के माध्यम से सामाजिक एकीकरण इत्यादि। यद्यपि आवंटित निधियों का पूरा उपयोग हुआ है, तथापि समिति का यह मत है कि महान संतो की जयंती/पुण्यतिथि संबंधी समारोहों के अलावा लक्षित लाभार्थियों में अन्य योजनाओं को लेकर बहुत अधिक जागरूकता नहीं है। इससे भी अधिक खेद की बात यह है कि जनप्रतिनिधिगण - एमपी/एमएलए भी इन योजनाओं के बारे में जागरूक नहीं है। इसलिए समिति विभाग से यह सिफारिश करती है कि वह फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही स्कीमों/कार्यक्रमों को एमपी/एमएलए/एससी जनपदों के अधिकारियों के साथ-साथ प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकाधिक प्रचारित करने हेतु उचित कदम उठाए ताकि लक्षित लाभार्थी इस बारे में जागरूक हो सकें और वे इन योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें। समिति जानना चाहेगी कि विभाग द्वारा इस योजना को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचारित करने के लिए क्या कदम उठाए गए।

सरकार का उत्तर

5.6 संसदीय समिति की सिफारिश/अभ्युक्तियां नोट कर ली गई हैं। तथापि, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का प्रचार करने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

- यह प्रतिष्ठान, इसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक जागरूकता अभियान हेतु पहले ही कार्रवाई कर चुका है।

- प्रतिष्ठान ने क्षेत्रीय आधार पर योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डॉ. अम्बेडकर पीठों को भी शामिल किया है। विभिन्न राज्य एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत पीठों द्वारा आयोजित सेमिनारों, सिंपोजियमों आदि के दौरान, डीएएफ के कार्मिकों को डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान और प्रचालनरत योजनाओं से संबंधित प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर देने और तत्संबंधी सूचना देने के लिए नियुक्त किया जाता है।

- सभी योजनाओं को एफएक्यू (फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस) में परिवर्तित किया गया है ताकि उन्हें जनता के साथ शेयर किया जा सके।

- डीएएफ की योजनाओं के अंतर्गत विस्तृत उपबंधों, पात्रता और अनिवार्य अपेक्षाओं आदि के बारे में जनता में जागरूकता अभियान का प्रचार करने हेतु कार्रवाइयां की जा रही हैं जिनमें सोशल मीडिया, कम्युनिटी रेडियो, वेबसाइट आदि शामिल हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (**सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग**)
का.ज्ञा.सं.1-1/2020-संसद दिनांक: 3 सिंतंबर 2020

सिफारिश (**पैरा सं**. 3.44)

5.7 समिति पाती है कि अंतर्जातीय विवाहों के माध्य से सामाजिक एककीकरण की डॉ. अंबेडकर स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य से विवाह के सत्यापन की प्रक्रिया बहुत अधिक समय लेने वाली और जटिल है जिसके कारण कभी-कभी 2 से 3 साल का समय लग जाता है जिससे इस स्कीम का उद्देश्य ही असफल हो जाता है। जैसा कि इस स्कीम का उद्देश्य जाति पूर्वाग्रह और जाति आधारित भेदभाव को कम करना है, समिति चाहती है कि विभाग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अंतर्जातीय विवाहों के सत्यापन हेतु प्रक्रिया को दुरूस्त करे और उनको निदेश दे कि वे इस प्रक्रिया को पूरा करने में समय सीमा तय करें और यह समय सीमा 15 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। विभाग को यह भी

सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभार्थियों के वास्ते दी गई धनराशि उन तक पहुंचे और वह भी विवाह के दो महीने के अंदर। समिति यह भी चाहती है कि इस स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली 2.5 लाख रूपये की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रूपये कर दिया जाना चाहिए ताकि अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा मिले सके। राजस्थान सरकार पहले से ही इस योजना के अंतर्गत संवर्धित राशि प्रदान कर रही है।

सरकार का उत्तर

5.8 संसदीय समिति की संस्तुति/निष्कर्ष नोट कर ली गई है। तथापि, अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए राशि को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5.0 लाख रुपए करने के लिए विभाग द्वारा कई कदम उठाए गए हैं :

- अंतर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन स्कीम पहले ही राज्य स्तर पर चलाई जा रही हैं और राज्य स्कीमों के अंतर्गत ऐसे दम्पत्तियों को प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहन, इस उद्देश्यार्थ केंद्रीय सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान ही हैं।
- चूंकि दस्तावेज की जांच की प्रक्रिया जटिल है अतः प्रक्रिया को धारा-प्रवाह बनाने और बहु-संस्तुतियों और दस्तावेज की जांच को समाप्त करने के लिए डीएएफ अंतर्जातीय स्कीम को संशोधित/पुनः प्रारूपित किया जा रहा है।
- जांच की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने और संबंधित डीएम/डीसी/प्राधिकारी के कार्यालय से ऑनलाइन पुष्टिकरण प्राप्त हो जाने के बाद लाभार्थी की सीधे ही प्रोत्साहन राशि अंतरित करने के लिए संशोधित स्कीम में आवेदनों को ऑनलाइन स्वीकार करने के प्रावधान पर कार्य किया जा रहा है।
- जहां तक प्रोत्साहन राशि को 2.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 5.00 लाख रुपए करने की संस्तुति का प्रश्न है तो यह कहा गया है कि अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन देने की डीएएफ स्कीम संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही समान स्कीम के अतिरिक्त है और डीएएफ स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त राशि/प्रोत्साहन के अतिरिक्त है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

का.ज्ञा.सं.1-1/2020-संसद दिनांक: 3 सिंतंबर 2020

सिफारिश (पैरा सं. 4.12)

5.9 समिति का मत है कि कई बार इच्छित लाभार्थियों को ऐसी छात्रवृत्ति योजना के बारे में पता नहीं होता, जैसा क्योंकि योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम नहीं है। समिति का यह भी मत है कि जन प्रतिनिधियों - संसद सदस्यों और विधायकों तक को योजनाओं के बारे में अवगत नहीं कराया जाता है, इच्छित लाभार्थियों को तो छोड़ ही दीजिये। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग द्वारा देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित अंतराल पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि अधिक से अधिक छात्र इस छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकें। इसके लिए विभाग प्रत्येक जिले के जिलाधीश को इसमें सम्मिलित करके कर सकता है और मासिक अथवा द्विमासिक आधार पर सचिव स्तर पर चर्चा कर सकता है।

सरकार का उत्तर

5.10 लाभार्थियों की जागरुकता के लिए स्कीमों के दिशा-निर्देश और लाभ, छात्रवृत्तियों की पात्रता और दरें मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं। इसके अलावा, स्कीम के लाभों को आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से भी प्रसारित किया जाता है। राज्य सरकार अपने दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी स्कीम का प्रकाशन करती है और स्कूल प्रशासन ने भी छात्रवृत्ति का आवेदन करने की तारीखों की सूचना देते हुए नोटिस जारी किए है। जिला प्रशासन के लिए ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय निकायों के साथ जागरुकता कैंप आयोजित करना आवश्यक है ताकि एक भी लाभार्थी स्कीम का लाभ उठाने से वंचित न रहें। यह मंत्रालय इस मामले को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ उठाएगा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

का.ज्ञा.सं.1-1/2020-संसद दिनांक: 3 सितंबर 2020

नई दिल्ली;
10 नवंबर, 2020
19 कार्तिक, 1942 (शक)

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी
स्थायी समिति।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की मंगलवार 10 नवंबर, 2020 को हुई दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश।

समिति की बैठक 1100 बजे से 1430 बजे तक समिति कमरा संख्या 2, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती रमा देवी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री थोमस चाजिकाडन
3. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
4. श्रीमती रंजीता कोली
5. श्रीमती गीता कोड़ा
6. श्री अक्षयवर लाल
7. श्री पशुपति कुमार पारस
8. श्रीमती रेखा वर्मा
9. श्रीमती रमिलाबेन बारा

राज्य सभा

10. श्री एन. चन्द्रशेखरन
11. श्री पी. एल. पुनिया
12. श्री राम कुमार वर्मा

लोक सभा सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी. पांडा - संयुक्त सचिव

2. श्रीमती ममता केनवाल - निदेशक

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और श्री पशुपति कुमार पारस, संसद सदस्य, लोक सभा को समिति में उनको नामित किए जाने पर बधाई दी। तत्पश्चात्, सभापति ने समिति को सूचित किया कि श्री पी.एल.पुनिया, संसद सदस्य (राज्य सभा) का कार्यकाल 25 नवंबर, 2020 को समाप्त हो रहा है तथा उन्होंने श्री पुनिया को समिति के कार्यकरण में उनकी सहायता और मूल्यवान योगदान के लिए सराहना की। तदुपरांत, समिति ने पिछले कार्यकाल (2019-20) के दौरान दो सदस्यों श्री दुर्गा प्रसाद बल्ली और श्री अशोक गस्ती के दुखद निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। समिति के सभी सदस्यों और अधिकारी दिवंगत नेताओं के सम्मान में एक मिनट तक मौन खड़े रहे।

3. तत्पश्चात्, समिति ने निम्नलिखित प्रारुप प्रतिवेदनों को विचारार्थ लिया:-

(एक) 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अनुदानों की मांगों (2020-21)' पर समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति का 15वां प्रतिवेदन।

(दो) ***** ***** ***** *****

(तीन) ***** ***** ***** *****

(चार) ***** ***** ***** *****

4. इसके बाद, सभापति ने सदस्यों से प्रारूप प्रतिवेदनों पर अपने सुझाव, यदि कोई हो, देने का अनुरोध किया। तदुपरांत, प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधनों के स्वीकार किया गया। समिति ने सभापति को अगले सत्र में संसद के दोनों सदनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

5.	*****	*****	*****	*****
6.	*****	*****	*****	*****
7.	*****	*****	*****	*****
8.	*****	*****	*****	*****
9.	*****	*****	*****	*****
10.	*****	*****	*****	*****
11.	*****	*****	*****	*****
12.	*****	*****	*****	*****

(तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही स्थगित हुई)

***** मामला प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।

परिशिष्ट

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

		कुल	प्रतिशत
I.	सिफारिशों की कुल संख्या	17	
II.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है (पैरा संख्या 3.14, 3.15, 3.16, 3.26, 3.37, 3.38, 4.11. 5.3 तथा 5.8.)	9	52.94%
III.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती - शून्य	-	-
IV.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है (पैरा संख्या 2.8, 3.25 and 5.12) तथापि, इन सभी पैराओं पर अध्याय एक में टिप्पणी की जा सकती है।	3	17.64%
V.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के है (पैरा संख्या 2.9, 2.10, 3.43, 3.44 तथा 4.12.).	5	29.41%